ईरान पर अमेरिका-इजरायल हमले और अंतरराष्ट्रीय कानून का सवाल: बल प्रयोग की सीमाओं को समझना

UPSC प्रासंगिकता: GS पेपर-2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) और GS पेपर-4 (युद्ध में नैतिकता)

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों? हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर समन्वित सैन्य हमले किए और दावा किया कि यह ऑपरेशन एक आसन्न सुरक्षा खतरे के प्रति पूर्व-निवारक (pre-emptive) प्रतिक्रिया थी। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि **मिनाब (Minab)** में लड़कियों के एक प्राथमिक विद्यालय पर मिसाइल हमला हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 150 नागरिकों की मृत्यु हो गई, जिनमें से कई बच्चे थे। इस घटना की यूनेस्को (UNESCO) ने निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बल प्रयोग की वैधता के साथ-साथ 'अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून' (IHL) के संभावित उल्लंघन पर गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

पृष्ठभूमि: बल प्रयोग को नियंत्रित करने वाला वैश्विक कानूनी ढांचा

द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को आकार दिया गया था, जिससे 1945 में संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने एकतरफा सैन्य आक्रामकता को रोकने और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियम स्थापित किए।

मुख्य कानूनी सिद्धांत

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4):** यह किसी अन्य राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी या बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। यह प्रावधान आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कानून का आधार स्तंभ है।

हालाँकि, चार्टर दो सीमित अपवाद प्रदान करता है:

1. **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमति:** जब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो, तब सुरक्षा परिषद बल प्रयोग को अधिकृत कर सकती है। (उदाहरण: 1991 का खाड़ी युद्ध)। *वर्तमान मामले में, हमलों को सुरक्षा परिषद की अनुमति प्राप्त नहीं थी।*
2. **अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा:** यह राज्यों को वास्तविक सशस्त्र हमले के जवाब में बल प्रयोग की अनुमति देता है। *चूँकि ईरान ने हाल ही में कोई सशस्त्र हमला नहीं किया था, इसलिए कानूनी तर्क मुख्य रूप से 'प्रत्याशित आत्मरक्षा' (Anticipatory Self-Defence) पर टिका है।*

प्रत्याशित या पूर्व-निवारक आत्मरक्षा (Pre-emptive Self-Defence) पर बहस

अमेरिका और इजरायल का तर्क है कि हमलों का उद्देश्य भविष्य के ईरानी हमले को रोकना था। इस सिद्धांत को **प्रत्याशित आत्मरक्षा** के रूप में जाना जाता है, जो सुझाव देता है कि यदि खतरा आसन्न (imminent) हो, तो हमला होने से पहले राज्य सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कानून में यह अत्यधिक विवादास्पद है। इसके वैध होने के लिए तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए:

- दुश्मन के हमले के इरादे का स्पष्ट प्रमाण।
- हमला करने की क्षमता।
- आवश्यकता (Necessity), यानी हमला खतरे को रोकने का अंतिम अवसर हो।

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) और युद्ध का संचालन

जहाँ संयुक्त राष्ट्र चार्टर यह नियंत्रित करता है कि युद्ध कानूनी रूप से शुरू हो सकता है या नहीं (**jus ad bellum**), वहीं अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून यह नियंत्रित करता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाए (**jus in bello**)।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

IHL के मुख्य सिद्धांत:

1. **भेदभाव का सिद्धांत (Principle of Distinction):** लड़ाकों को सैन्य लक्ष्यों और नागरिकों/नागरिक वस्तुओं के बीच स्पष्ट अंतर करना चाहिए। स्कूल, अस्पताल और पूजा स्थलों को निशाना नहीं बनाया जा सकता।
2. **आनुपातिकता का सिद्धांत (Principle of Proportionality):** सैन्य लाभ की तुलना में नागरिकों को होने वाली संभावित क्षति अत्यधिक नहीं होनी चाहिए।
3. **सैन्य आवश्यकता का सिद्धांत (Principle of Military Necessity):** बल का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब वह वैध सैन्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।
4. **सावधानी का सिद्धांत (Principle of Precaution):** नागरिक नुकसान को कम करने के लिए सभी संभव सावधानी बरती जानी चाहिए।

बच्चों और शैक्षणिक संस्थानों का संरक्षण

अंतरराष्ट्रीय कानून सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। 'बाल अधिकारों पर कन्वेंशन' राज्यों को युद्ध प्रभावित बच्चों की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त, **अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का रोम क़ानून** नागरिकों या शैक्षणिक संस्थानों पर जानबूझकर किए गए हमलों को **'युद्ध अपराध'** (War Crimes) के रूप में वर्गीकृत करता है।

हमले की वैधता का आकलन

यदि स्कूल को जानबूझकर निशाना बनाया गया था, तो यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन होगा। यदि हमला पास की सैन्य सुविधा को निशाना बनाते समय हुआ, तो इसकी वैधता इस पर निर्भर करेगी कि क्या हमला आनुपातिकता के परीक्षण पर खरा उतरा और क्या नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई थी।

आगे की राह

- बल प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निषेध का कड़ाई से पालन करना।
- अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुपालन को मजबूत करना।
- कथित युद्ध अपराधों की स्वतंत्र जांच को प्रोत्साहित करना।
- अंतरराष्ट्रीय संस्थानों जैसे ICC की भूमिका को बढ़ाना।

निष्कर्ष

ईरान पर अमेरिका-इजरायल हमले राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानदंडों के बीच निरंतर तनाव को उजागर करते हैं। जब स्कूल जैसे नागरिक स्थान विनाश के स्थल बन जाते हैं, तो मुद्दा भू-राजनीति से परे मानवता की सुरक्षा तक फैल जाता है।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

IAS-PCS Institute

प्रश्न: ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल द्वारा हाल के हमलों के आलोक में, बल प्रयोग को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की सीमाओं का परीक्षण कीजिए। ऐसी कार्रवाइयाँ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को कैसे चुनौती देती हैं? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806